भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**लिखित प्रश्न सं. 1808**

जिसका उत्तर 28.11.2019 को दिया जाना है

**एनएचएआई के अन्तर्गत उच्च मूल्य वाली सड़क परियोजनाओं की स्थिति**

1808. डॉ॰ के॰ जयकुमारः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयनाधीन 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं छह माह की समय-सीमा से अधिक समय से पीछे चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना-वार तय की गई समय-सीमा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए एनएचएआई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): वर्तमान में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश में 400 से अधिक सड़क परियोजनाओं का संचालन कर रहा है, जिसकी लागत 50 करोड़ रुपए है और इसकी लंबाई लगभग 24,000 किमी के है।

(ख) से (घ): कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं ठेकेदार के खराब निष्पादन, उपयोगिता स्थानांतरण, पर्यावरण / वन मंजूरी में देरी, भूमि अधिग्रहण, रियायतग्राही/ठेकेदार की नकदी प्रवाह समस्या तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं आदि जैसे कई कारणों से निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना
- विवाद समाधान तंत्र की पुनर्संरचना
- भूमि अधिग्रहण, मंजूरी इत्यादि के अनुसार पर्याप्त तैयारी के पश्चात् परियोजनाओं का ठेका देना। विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया संरेखण के अंतिम रूप देने और अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के साथ-साथ शुरु की जाएगी।
- ठीक तरह से तैयार किए गए जनसुविधा आकलनों के संरेखन को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् शीघ्रताशीघ्र प्राप्त किया जाएगा और वह मूल्यांकन प्रस्ताव का भाग होगा।

- परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और तकनीकी अनुसूचियां की प्राप्ति पर शीघ्रताशीघ्र शुरु की जानी चाहिए।
- आरओबी : आरओबी के लिए रेलवे द्वारा अनुमोदित जीएडी की प्रक्रिया सरल की गयी है और ऑनलाइन कर दी गयी है। रखरखाव प्रभारें जो कई परियोजनाओं की प्रगति में अवरोध पैदा कर रहीं थी, के लिए रेलवे द्वारा छूट दे दी गयीं हैं। मानक डिजाइन को वेबसाइट पर रखा गया है।
- अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वयन
- एकबारगी निधि निवेश
- बोली प्रक्रिया शुरु करने से पहले मुख्य भूमि का अधिग्रहण कार्य पूरा करना।
- विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा।
- इक्विटी निवेशकों के लिए प्रस्तावित निकास।
- सड़क क्षेत्र ऋणों का प्रतिभूतिकरण।
- प्राधिकरण के कारण हुए विलंबों के लिए क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना।
- परियोजनाएं जो एनसीएलटी रियायतग्राही/ ठेकेदार के कारण या प्राधिकरण और ठेकेदार/रियायतग्राही में दोनों के आपसी चूक के कारण अटकी पड़ी हैं, के पूर्व समापन के उद्देश्य से अटकी परियोजनाओं के समाधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की अधिसूचना।

*****